विधान परिषद के प्रथम सत्र 2025 के द्वितीय बुधवार हेतु निर्धारित डॉं मान सिंह यादव, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तर
1(क)	क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि माह नवम्बर, 2023 में खाद्य एवं रसद विभाग में पूर्ति लिपिक/ आशुलिपिक पद से पूर्ति निरीक्षक पद पर पदोन्नति की गयी थी जिसमें 16 पूर्ति लिपिकों व 05 आशुलिपिकों की पदोन्नति की कार्यवाही नहीं कि गयी थी जिस कारण उक्त कार्मिकों में शासन व सरकार के प्रति रोष व्याप्त है?	दिनांक 28.11.2023 को चयन समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (सम्पूर्ति शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980 एवं यथा संशोधित नियमावली, 1993 के अन्तर्गत पूर्ति लिपिक/आशुलिपिक पद से पूर्ति निरीक्षक पद पर प्रोन्नति हेतु वरिष्ठता क्रमांकानुसार विचारोपरान्त विभागीय चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाये गये 78 रिक्तियों के सापेक्ष 65 पूर्ति लिपिकों को एवं आशुलिपिक से पूर्ति निरीक्षक के पद पर 35 रिक्तियों के सापेक्ष 30 आशुलिपिकों को पूर्ति निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। पूर्ति लिपिक से पूर्ति निरीक्षक के पद हेतु रिक्त शेष 13 पदों पर एवं आशुलिपिक से पूर्ति निरीक्षक के पद हेतु रिक्त शेष 05 पदों पर वरिष्ठता क्रमांक के अनुसार पात्रता की श्रेणी में आने वाले पूर्ति लिपिक/आशुलिपिक की पदोन्नति आवश्यक अभिलेख पूर्ण न होने, विभागीय कार्यवाही अथवा आपराधिक वाद में अभियोजन स्वीकृति के दृष्टिगत लिफाफा बन्द होने के कारण विभागीय चयन समिति द्वारा पद आरक्षित एवं विचार स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।
(ख)	यदि नहीं, तो उक्त कार्मिकों की कब तक पदोन्नति करायेगें?	उपरोक्तानुसार।
(ग)	यदि नहीं, तो क्यों?	लागू नहीं है।

योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री।

उत्तर प्रदेश सरकार
खाद्य तथा रसद विभाग
अनुभाग-2
विविध
26 जून, 1980 ई०

सं०मरा-4140/29-2-288/69-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (संपूर्ति शाखा) अधीनस्थ सेवा में पदों पर भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (संपूर्ति शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980

भाग एक—सामान्य

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (संपूर्ति शाखा) (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1980 कही जायगी।

(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2—सेवा की प्रास्थिति—उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (संपूर्ति शाखा) अधीनस्थ सेवा में समूह "ग" के पद सम्मिलित हैं।

3—परिभाषायें—जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

(एक) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य नियम 18 (1) में इस रूप में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से है।

(दो) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय।

(तीन) "आयोग" का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है;

(चार) "आयुक्त" का तात्पर्य आयुक्त, खाद्य तथा रसद, उत्तर प्रदेश से है;

(पांच) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(छः) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(सात) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(आठ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त व्यक्ति से है;

(नौ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (संपूर्ति शाखा) अधीनस्थ सेवा से है।

भाग दो—संवर्ग

4—सेवा की सदस्य संख्या—(1) सेवा की सदस्य संख्या और उस में प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, निम्नलिखित होगी :-

पद की श्रेणी	पदों की संख्या	
	स्थायी	अस्थायी
(क) निरीक्षक	533	369
(ख) ज्येष्ठ निरीक्षक	94	83

परन्तु—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, और

(दो) राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त अस्थायी या स्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जो आवश्यक पाये जायं।

भाग तीन—भर्ती

5—भर्ती का स्रोत—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी—

(एक) निरीक्षक (क) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

और

(ख) खाद्य तथा रसद विभाग की संपूर्ति शाखा में कार्यरत स्थायी प्रधान लिपिकों/स्थायी लेखाकारों में से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(दो) ज्येष्ठ निरीक्षक (क) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) स्थायी निरीक्षकों में से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(2) निरीक्षक और ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर भर्ती यथा संभव इस प्रकार की जायगी कि 50 प्रतिशत पद सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा और 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों द्वारा धारण किये जायं।

6—आरक्षण—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-चार—अर्हतायें

7—राष्ट्रिकता—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से, 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका और केनिया, उगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवजन किया हो ;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले ।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले ।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

8—शैक्षिक अर्हतायें—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता-प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिये और उसे देवनागरी लिपि में हिन्दी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिये ।

9—अधिमानी अर्हतायें—ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा ।

10—आयु—सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायं और पहली जुलाई को यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायं, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

11—चरित्र—सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे । कोई ऐसा व्यक्ति भी, जो नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया हो, पात्र नहीं होगा ।

12—वैवाहिक प्रास्थिति—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो ;

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं ।

13—शारीरिक स्वस्थता—किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फन्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेंशियल हैन्ड बुक खंड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें ।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये किसी अभ्यर्थी से स्वास्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

भाग पांच—भर्ती की प्रक्रिया

14—रिक्तियों का अवधारण—आयुक्त वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा ।

15—सीधी भर्ती की प्रक्रिया—(1) निरीक्षक या ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जायेगी ।

(2) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आवेदन-पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे, जो भुगतान किये जाने पर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(3) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश-पत्र न हो।

(4) आयोग लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारिणीबद्ध करने के पश्चात अनुसूचित जातियों और अन्य अभ्यर्थियों का, जिसके लिये नियम 6 के अधीन आरक्षण किया जाना हो, सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, लिखित परीक्षा में परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के लिये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को बुलायेगा, जितने इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों में जोड़े जायेंगे।

(5) आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा जितने वह नियुक्ति के लिए उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों का कुल योग बराबर हो, तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। आयोग उक्त सूची आयुक्त को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी—(एक) निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (स्नातक समूह) के परिणाम के आधार पर की जायगी।

(दो) ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती सम्मिलित प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर की जायगी।

(तीन) प्रतियोगिता, परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण और नियम ऐसे होंगे जो आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किए जायं।

16—पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—निरीक्षक और ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायगी।

टिप्पणी—इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त आयोग संपरामर्श के पदोन्नति द्वारा चयन की प्रक्रिया परिशिष्ट 'क' दी गई है।

17—संयुक्त चयन सूची—यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जानी हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम नियम 15 और 16 के अधीन तैयार की गई सूची से अनुक्रमतः लिए जायेंगे, पहला नाम नियम 16 के अधीन तैयार की गई सूची से लिया जायगा।

भाग—छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18—नियुक्ति—(1) ज्येष्ठ निरीक्षक के पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी आयुक्त होगा और निरीक्षक के पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट होगा, जिसमें नियुक्ति की जानी हो।

(2) ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गई सूची में हो, नियुक्तियां करेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों में उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो, तो ऐसी रिक्तियों में नियुक्ति प्रत्येक दशा में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, आयुक्त द्वारा इस नियमावली के अधीन पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की तैयार की गई सूची से की जायगी, जिसमें नामों को ज्येष्ठता के क्रम में रखा जायगा।

(4) (क) आयोग से नियम 15 और नियम 16 के अधीन निरीक्षक के पद के लिए चयन किए गए अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर आयुक्त चयन किए गए अभ्यर्थियों का विभिन्न जिलों के लिए उनमें विद्यमान रिक्तियों में नियुक्ति के लिए आवंटन करेगा। प्रत्येक चयन किए गए अभ्यर्थी से तीन जिलों में से (अभ्यर्थी के निवास स्थान के जिले को छोड़कर) किसी एक जिले में नियुक्ति के लिए अधिमान क्रम चुनाव करने के लिए कहा जायगा और यथाशक्य अभ्यर्थियों के अधिमान को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जिलों के लिए आवंटन किया जायगा। किन्तु उपर्युक्त सभी बातों के होते हुए भी प्रशासन की आवश्यकता और अपेक्षा सर्वोपरि होगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवंटित जिले में नियुक्ति स्वीकार करने का इच्छुक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम सूची से अलग कर दिया जायगा, जिसके लिए वह किसी प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेगा। अभ्यर्थियों के आवंटन की प्रक्रिया में कोई कठिनाई होने की दशा में आयुक्त सरकार से सामान्य या विशेष आदेश प्राप्त करेगा, जो अन्तिम होगा।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी आयुक्त से सूचीबद्ध या पात्र अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त करके नियुक्तियां कर सकता है :

परन्तु किसी ऐसे रिक्ति में ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति, जिसका नाम नियम 15 या नियम 16 के अधीन तैयार की गई सूची में न हो, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए की जायगी।

19—परिवीक्षा—(एक) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किए जाने पर कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा निश्चित दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक कि अवधि बढ़ाई जाय:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना करने की अनुमति दे सकता है।

20—स्थायीकरण—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा यदि—

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय,

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

21—ज्येष्ठता—प्रत्येक श्रेणी के पदों पर ज्येष्ठता मौलिक रूप में नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जायं तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गए हों, अवधारित की जायगी :

परन्तु—

(1) सेवा में सीधे नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय अवधारित की जाय,

(2) पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के पूर्व उनके द्वारा धृत मौलिक पद पर रही हो।

टिप्पणी—(1) सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) जहां नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय जब से किसी व्यक्ति को मौलिक रूप से नियुक्ति की जानी हो, वहां उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा। अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किए जाने के दिनांक से होगा।

भाग सात—वेतन

22—वेतनमान—(1) सेवा के संवर्ग में सम्मिलित पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) 1 अगस्त, 1972 से प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिए गए हैं :—

1—निरीक्षक ..	280–8–296–9–350–द०रो०–10–400–द०रो०12–460रु०।
2—ज्येष्ठ निरीक्षक	325–10–375–द०रो०–12–495–द०रो०–16–575 रु०।

23—परिवीक्षा अवधि में वेतन—(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो, विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) एक व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

24—दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड—निरीक्षक ज्येष्ठ निरीक्षक को—

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि यह न पाया जाय कि उसने धीरतया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य किया है और उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय, और

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि यह न पाया जाय कि उसने खाद्य तथा रसद विभाग के अधिनियमों, नियमों और विनियमों का अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया है और अधिनियम और नियमों के उपबन्धों को लागू करने में प्रभावकारी ढंग से कार्य किया है, उसका कार्य सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

25—पक्ष समर्थन—किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26—अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

27—सेवा की शर्तों में शिथिलता—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया जाय तो उस नियम की अपेक्षाओं को शिथिल या अभिमुक्त करने से पूर्व उक्त निकाय से परामर्श किया जायगा।

28—व्यावृत्ति—इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
मनोहर सुब्रह्मण्यम्,
सचिव।

टिप्पणी—राज-पत्र दिनांक 1-11-80, भाग 1-क में प्रकाशित है।
प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:—]

पी0 एस0 यू0 पी0—5 खा0 (खाद्य)—6-11-80—1000 (कॉपी)।

उत्तर प्रदेश सरकार
खाद्य तथा रसद अनुभाग-2
संख्या-2743/उन्तीस-2-~~93-33~~/80-टी०सी०
लखनऊ, दिनांक 27-9-1993

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (सम्पूर्ति शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (सम्पूर्ति शाखा) अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1993

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (सम्पूर्ति शाखा) अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1993 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

म 3 का धन

2- उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (सम्पूर्ति शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1980, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, के नियम 3 में,—

(क) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये खण्ड (एक) के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात:-

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
(वर्तमान खण्ड)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(एक) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य नियम 18 (1) में इस रूप में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से है।	"(एक) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य आयुक्त से है;"

(ख) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये खण्ड (तीन) के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात—

2/——

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
(वर्तमान खण्ड)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(तीन) "आयोग" का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है;	"(तीन) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;"

(ग) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये खण्ड (आठ) और (नौ) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात—

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
वर्तमान खण्ड	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(आठ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त व्यक्ति से है;	(आठ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति से है;
(नौ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (संपूर्ति शाखा) अधीनस्थ सेवा से है।	(नौ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (सम्पूर्ति शाखा) अधीनस्थ सेवा से है;
	(दस) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी कार्यपालक

अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो; और

(ग्यारह) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

नियम 5 का प्रतिस्थापन

3- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा; अर्थात्—

स्तम्भ 1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ 2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
5—भर्ती का स्रोत—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी-	भर्ती का स्रोत 5—सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी :
(क) निरीक्षक (क) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; और	(1) निरीक्षक (क) पचहत्तर प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; और
(ख) खाद्य तथा रसद विभाग की संपूर्ति शाखा में कार्यरत स्थायी प्रधान लिपिकों/स्थायी लेखाकारों में से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;	(ख) पच्चीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त नीचे खण्ड (एक) और (दो) में उल्लिखित श्रेणियों के पदों के ऐसे पदधारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उक्त श्रेणियों के किसी एक [illegible]

	[सेवा के पाँच वर्ष पूरे कर लिये हों, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा ।]
	[(एक) ज्येष्ठ सहायक, सहायक लेखाकार, ज्येष्ठ लिपिक, लेखा लिपिक और कनिष्ठ लिपिक/क्लर्क से पदों के बीस प्रतिशत तक, और]
	[(दो) आशुलिपिकों से पदों के पाँच प्रतिशत तक ।]
(दो) ज्येष्ठ निरीक्षक (क) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;	(2) ज्येष्ठ निरीक्षक
(ख) स्थायी निरीक्षकों में से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;	मौलिक रूप से नियुक्त निरीक्षकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।"
(2) निरीक्षक और ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर भर्ती यथा संभव इस प्रकार की जायगी कि 50 प्रतिशत पद सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा और 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों द्वारा धारण किये जायं ।	

नियम 10 का प्रतिस्थापन

4- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
(वर्तमान नियम)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
10—आयु— सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।	"आयु 10— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें, 21 वर्ष की होनी चाहिए और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :
परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की की जांय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जांय अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।"

नियम 14 का प्रतिस्थापन

5— उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 14 के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्—

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
(वर्तमान नियम)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
14— रिक्तियों का अवधारण— आयुक्त वर्ष के दौरान भरी जाने	"रिक्तियों का अवधारण 14— नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के

वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा ।	वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा । आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना उनको दे दी जायगी ।"

नियम 15 का प्रतिस्थापन

6— उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 15 के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्—

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
(वर्तमान नियम)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
15- सीधी भर्ती की प्रक्रिया—	"सीधी भर्ती की प्रक्रिया— 15—
(1) निरीक्षक या ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जायेगी ।	
(2) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आवेदन-पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे, जो भुगतान किये जाने पर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकते हैं ।	(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आमंत्रित किया जायगा ।
(3) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं होने	(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायगा जब

7/——

दिया जावेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश-पत्र न हो ।	तक उसके पास आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र न हो ।
(4) आयोग लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारिणीबद्ध करने के पश्चात अनुसूचित जातियों और अन्य अभ्यर्थियों का, जिसके लिये नियम 6 के अधीन आरक्षण किया जाना हो, सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, लिखित परीक्षा में परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के लिये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को बुलायेगा, जितने इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुँच सके हों । साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों में जोड़े जायेंगे ।	(3) आयोग लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा, जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुँच सके हों । साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिये जायेंगे ।
(5) आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा	(4) आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में

और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा जितने वह नियुक्ति के लिए उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों का कुल योग बराबर हो, तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। आयोग उक्त सूची आयुक्त को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी—(एक) निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (स्नातक समूह) के परिणाम के आधार पर की जायेगी।

(दो) ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती सम्मिलित प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर की जायगी।

(तीन) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण और नियम ऐसे होंगे जो आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किए जायं।

अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जितने वह नियुक्ति के लिए उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायगा और यदि वे लिखित परीक्षा में भी बराबर बराबर अंक प्राप्त करें तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।"

नियम 16 का प्रतिस्थापन — 7- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 16 के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात--

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
(वर्तमान नियम)	(एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
16- पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया — निरीक्षक और ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा-संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायगी । टिप्पणी—इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त आयोग के संपरामर्श के पदोन्नति द्वारा चयन की प्रक्रिया परिशिष्ट "क" में दी गई है ।	"पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया — 16- (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे — (एक) आयुक्त ——— अध्यक्ष (दो) अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद, उत्तर प्रदेश——— सदस्य (तीन) आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी—सदस्य (2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियाँ उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उनकी चरित्र पंजियाँ और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो आवश्यक समझे जांय, चयन समिति

के समक्ष रखेगा ।

परन्तु जहाँ किसी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति एक से अधिक पोषक संवर्गों से की जाती है, वहाँ पात्रता सूची राज्य स्तर पर व्यक्तियों के नाम पात्रता के क्षेत्र में ज्येष्ठता क्रम में रखकर तैयार की जायगी जैसा कि उनके अपने अपने पदों पर उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक द्वारा अवधारित की जाय और जहाँ दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को इस रूप में नियुक्त किये गये थे, अधिक आयु वाले व्यक्ति का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायगा । इस प्रकार नाम रखने में एक ही पद धारण करने वाले व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता बाधित नहीं की जायगी:

परन्तु यह और कि जहाँ पोषक संवर्गों में पद भिन्न भिन्न वेतनमानों में हों तो उच्चतर वेतनमान वाले व्यक्तियों के नाम पात्रता सूची में पहले रखे जायेंगे और निम्न वेतनमान में पद धारण करने वाले व्यक्तियों के नाम उसके पश्चात रखे जायेंगे ।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों

का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की एक सूची भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।"

नियम 18 का प्रतिस्थापन

8- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 18 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्—

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
(वर्तमान नियम)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
18--नियुक्ति--(1) ज्येष्ठ निरीक्षक के पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी आयुक्त होगा और निरीक्षक पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट होगा, जिसमें नियुक्ति की जानी हो ।	"नियुक्ति 18-(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर जिसमें वे, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों, नियुक्ति करेगा ।
(2) ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर मौलिक रिक्तियाँ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गई सूची में हो, नियुक्तियाँ करेगा ।	(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हैं वहाँ नियमित नियुक्तियाँ नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिये जायँ और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय ।
(3) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठ निरीक्षक के पद पर अस्थायी	(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति

या स्थानापन्न रिक्तियों में उपनियम (2) में निर्दिष्ट [illegible] नियुक्तियाँ कर सकता है । यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों में नियुक्ति प्रत्येक दशा में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए आयुक्त द्वारा इस नियमावली के अधीन पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की तैयार की गई सूची से की जायगी, जिसमें नामों को ज्येष्ठता के क्रम में रखा जायगा ।

(4) (क) आयोग से नियम 15 और नियम 16 के अधीन निरीक्षक के पद के लिए चयन किए गए अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर आयुक्त चयन किए गए अभ्यर्थियों का विभिन्न जिलों के लिए उनमें विद्यमान रिक्तियों में नियुक्ति के लिए आवंटन करेगा । प्रत्येक चयन किए गए अभ्यर्थी से तीन जिलों में से (अभ्यर्थी के निवास स्थान के जिले को छोड़कर) किसी एक जिले में नियुक्ति के लिए अधिमान क्रम चुनाव करने के लिए कहा जायगा और यथाशक्य अभ्यर्थियों के अधिमान को ध्यान

के आदेश जारी किये जांय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायगा जैसा कि यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय।

यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जांय तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगे ।"

में रखते हुए विभिन्न जिलों के लिए आवंटन किया जायगा ।
किन्तु उपर्युक्त सभी बातों के होते हुए भी प्रशासन की आवश्यकता और अपेक्षा सर्वोपरि होगी । यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवंटित जिले में नियुक्ति स्वीकार करने का इच्छुक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम सूची से अलग कर दिया जायगा, जिसके लिए वह किसी प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेगा । अभ्यर्थियों के आवंटन की प्रक्रिया में कोई कठिनाई होने की दशा में आयुक्त, सरकार से सामान्य या विशेष आदेश प्राप्त करेगा, जो अन्तिम होगा ।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी आयुक्त से सूचीबद्ध या पात्र अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त करके नियुक्तियाँ कर सकता है:

परन्तु किसी ऐसे रिक्ति में ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति, जिसका नाम नियम 15 या नियम 16 के अधीन तैयार की गई सूची में न हो, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए की जायगी ।

नियम 20 का प्रतिस्थापन

9- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 20 के

स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात—

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
(वर्तमान नियम)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
20—स्थायीकरण— किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा यदि—	"स्थायीकरण 20—(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि—
(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो,	
(ख) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय,	(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय;
(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और	(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और
(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।	(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।
	(2) जहाँ, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायगा।"

नियम 2। का प्रतिस्थापन

10- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 2। के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्—

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
¤वर्तमान नियम¤	¤एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम¤
21—ज्येष्ठता—प्रत्येक श्रेणी के पदों पर ज्येष्ठता मौलिक रूप में नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जांय तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गए हों, अवधारित की जायगी:	"ज्येष्ठता 21— किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायगी।"
परन्तु—	
¤1¤ सेवा में सीधे नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय अवधारित की जाय,	
¤2¤ पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के पूर्व उनके द्वारा धृत मौलिक पद पर रही हो।	
टिप्पणी—¤1¤ सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर वह विधिमान्य	

कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे । कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(2) जहाँ नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय जब से किसी व्यक्ति को मौलिक रूप से नियुक्त की जानी हो, वहाँ उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा। अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किए जाने के दिनांक से होगा ।

नियम 22 का प्रतिस्थापन

11- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्—

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
(वर्तमान नियम)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
22- वेतनमान—(1) सेवा में संवर्ग में सम्मिलित पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।	"वेतनमान 22-(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतन मान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।
(2) 1 अगस्त, 1972 से प्रवृत्त	(2) 1 जनवरी, 1986 से प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं:- 1-निरीक्षक-1350-30-1440-40-1800-द0रो0-50-2200रू0 ।

17/——

वेतनमान नीचे दिये गए हैं:-

1-निरीक्षक-280-8-296-9-350-द0रो0-10-400-द0रो0-12-460रु0।

2-ज्येष्ठ निरीक्षक 325-10-375-द0रो0-12-495-द0रो0-16-575 रु0।

2-ज्येष्ठ 1400-40-1600-50-2300-द0रो0-60-2600रु0"

नियम 24 का प्रतिस्थापन

12- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 24 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात—

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
(वर्तमान नियम)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
24- दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड—निरीक्षक/ज्येष्ठ निरीक्षक को—	"दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड-24-किसी व्यक्ति को दक्षतारोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायगी जब तक कि—
(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि यह न पाया जाय कि उसने धीरतया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य किया है और उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय, और	(एक) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय, और
(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि यह न पाया जाय कि उसने खाद्य तथा रसद	(दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।"

18/——

विभाग के अधिनियमों, नियमों और विनियमों का अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया है और अधिनियम और नियमों के उपबन्धों को लागू करने में प्रभावकारी ढंग से कार्य किया है, उसका कार्य सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

आज्ञा से,

(पी० एल० पुनिया)
सचिव।

लिपिक से पूर्ति निरीक्षक

क्र0	नाम	पदनाम	वरिष्ठता क्रमांक	चयन समिति की कार्यवाही की तिथि	चयन न होने का कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव	लिपिक	22	28.11.2023	चरित्र पंजिका अपूर्ण होने के दृष्टिगत विचार स्थगित / पद आरक्षित	
2	श्री विकास जैकरे	लिपिक	129	28.11.2023	चरित्र पंजिका अपूर्ण होने के दृष्टिगत विचार स्थगित / पद आरक्षित	
3	श्री विनीत राजपूत	लिपिक	150	28.11.2023	चरित्र पंजिका अपूर्ण होने के दृष्टिगत विचार स्थगित / पद आरक्षित	
4	श्री राजेन्द्र कुमार	लिपिक	151	28.11.2023	चरित्र पंजिका अपूर्ण होने के दृष्टिगत विचार स्थगित / पद आरक्षित	
5	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह	लिपिक	156	28.11.2023	चरित्र पंजिका अपूर्ण होने के दृष्टिगत विचार स्थगित / पद आरक्षित	
6	श्री अतुल शंकर श्रीवास्तव	लिपिक	103	28.11.2023	अभियोजन स्वीकृति होने के दृष्टिगत अग्रिम विभागीय चयन समिति की बैठक होने तक लिफाफा बन्द / पद आरक्षित	
7	श्री पवन कुमार तिवारी	लिपिक	109	28.11.2023	वर्तमान में अभियोजन की स्वीकृति आदेश दिनांक 02.08.2016 के दृष्टिगत लिफाफा बन्द पद आरक्षित	
8	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	लिपिक	120	28.11.2023	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के दृष्टिगत आपराधिक वाद में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन लिफाफा बन्द / पद आरक्षित	
9	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव	लिपिक	132	28.11.2023	आपराधिक वाद पंजीकृत होने व विभागीय कार्यवाही लम्बित होने के दृष्टिगत लिफाफा बन्द / पद आरक्षित	
10	श्री हिमांशु भारद्वाज	लिपिक	174	28.11.2023	आपराधिक वाद पंजीकृत होने दृष्टिगत लिफाफा बन्द / पद आरक्षित	
11	श्री रवि कुमार कश्यप	लिपिक	181	28.11.2023	जिलाधिकारी, गोण्डा के आदेश दिनांक 01.08.2019 के द्वारा अभियोजन स्वीकृत होने के दृष्टिगत अग्रिम विभागीय चयन समिति की बैठक होने तक लिफाफा बन्द / पद आरक्षित	
12	श्री नीरज कुमार सिंह	लिपिक	195	28.11.2023	विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के दृष्टिगत लिफाफा बन्द / पद आरक्षित	
13	श्री ब्रहम नारायण सिंह	लिपिक	206	28.11.2023	आपराधिक वाद न्यायालय में प्रचलित होने के दृष्टिगत मा0 न्यायालय के निर्णय के अधीन लिफाफा बन्द / पद आरक्षित	

<u>आशुलिपिक से पूर्ति निरीक्षक</u>

क्र0	नाम	पदनाम	वरिष्ठता क्रमांक	चयन समिति की कार्यवाही की तिथि	चयन न होने का कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री अभिषेक शर्मा	आशुलिपिक	3	28.11.2023	चरित्र पंजिका अपूर्ण होने के कारण अग्रिम विभागीय चयन समिति की बैठक होने तक विचार स्थगित पद आरक्षित	
2	श्री ज्ञान प्रकाश दुबे	आशुलिपिक	12	28.11.2023	चरित्र पंजिका अपूर्ण होने के कारण अग्रिम विभागीय चयन समिति की बैठक होने तक विचार स्थगित पद आरक्षित	
3	कु0 रीनू	आशुलिपिक	27	28.11.2023	चरित्र पंजिका अपूर्ण होने के कारण अग्रिम विभागीय चयन समिति की बैठक होने तक विचार स्थगित पद आरक्षित	
4	श्री अजीत सिंह	आशुलिपिक	29	28.11.2023	चरित्र पंजिका अपूर्ण होने के कारण अग्रिम विभागीय चयन समिति की बैठक होने तक विचार स्थगित पद आरक्षित	
5	श्री अनुराग सरोज	आशुलिपिक	17	28.11.2023	अर्हकारी सेवा अवधि में 01 वर्ष, 01 माह का अवकाश स्वीकृति प्रक्रियाधीन होने के कारण अर्हकारी सेवा अपूर्ण होने के दृष्टिगत अग्रिम विभागीय चयन समिति की बैठक होने तक लिफाफा बन्द/पद आरक्षित	